

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 18.07.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्याम लाल पुत्र माधोराज नि0 लालपुर चन्द्रभान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-543/21, 02. राजन सोनकर पुत्र गयाप्रसाद नि0 ऊंचे झंझरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-544/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ओमप्रकाश सोनकर पुत्र तुलसीराम सोनकर नि0 ग्राम बसन्तपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-232/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कपिल देव पुत्र हरिराम नि0 ग्राम दुल्हापुर अम्मेजोत थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-199/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कृष्ण कुमार सोनकर पुत्र स्व0 मिश्रा लाल नि0 पूरे ललक टेड़िया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 19 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम नौशादर बरामद कर मु0अ0सं0-278/21, धारा 60/60ए आबकारी अधि0 व 272 भादवि, 02. सभाजीत पुत्र छन्नू नि0 ग्राम ककरहवा मौजा मछली गाँव थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-279/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बृजनन्दन सिंह उर्फ टिल्लू पुत्र देवेन्द्र बहादुर सिंह नि0 पूरे पवार सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-235/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 06. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विजय चौहान पुत्र नौगीर चौहान नि० ग्राम कूकनगर ग्रन्ट हरदौनी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-104/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक 18.07.2021

## गैंगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंगेस्टर एक्ट वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु०अ०सं०-207/21, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों-01. अतीक सिद्दकी, 02. परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त अभियुक्त आर्थिक लाभ के लिये लूट, चोरी व नकबजनी जैसे अपराध कारित करते हैं। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अतीक सिद्दकी पुत्र जामिन अली नि० कस्बा इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. परवेज पुत्र मुस्तकीम नि० मेहंदी हसन गली स्टेशन रोड कस्बा इटियाथोक जनपद गोण्डा।

## पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-207/21, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

## अभियुक्त अतीक सिद्दकी का अपराधिक इतिहास:-

01. मु०अ०सं०-181/20, धारा 394,452,504,506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-55/21, धारा 380 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-56/21, धारा 401 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०-57/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

## अभियुक्त परवेज का अपराधिक इतिहास:-

01. मु०अ०सं०-55/21, धारा 380 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-56/21, धारा 401 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-58/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

## गिरफ्तार कर्ता टीम-

व०उ०नि० राजेश पाण्डेय ।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 18.07.2021**

**दहेज हत्या का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-184/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज कुमार को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए आग लगाकर जान से मार दिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. मनोज कुमार पुत्र धनलाल नि0 मंगलनगर तेलियनपुरवा थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-184/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 18.07.2021**

**बलवा करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-161/21, धारा 147,148,323,504,506,427,342,452 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने बलवा करते हुए साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी फौजदार सोनी पुत्र मंगलशाह सोनी नि0 भौरीगंज थाना परसपुर व उसके परिजनो को मारा-पीटा था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. फिरोज पुत्र सत्तार नि0 भौरीगंज थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01.मु0अ0सं0-161/21, धारा 147,148,323,504,506,427,342,452 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 अंकित सिंह मय टीम।

